इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2011—फाल्गुन 13, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2011

क्र. एफ-22-5-2008-आठ.—परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-39-98-आठ, दिनांक 26 फरवरी, 2010 एवं 8 फरवरी, 2011 के अनुक्रम में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य शासन इस विभाग की तत्संबंधी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये एतद्द्वारा, यान पर निम्नलिखित का प्रयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करता है:—

(क) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, लाल बत्ती जब यान प्रदेश में कही भी ड्यूटी पर हो.

1 राज्यपाल

2 मुख्यमंत्री

3 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

4 विधान सभा अध्यक्ष

5 मध्यप्रदेश के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण

6 विधान सभा के उपाध्यक्ष

7 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश

8 लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त

9 उपलोकायुक्त/सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश

(ख) यान के अग्र शीर्ष भाग पर, पीली बत्ती (उनके अधिकार क्षेत्र में).

1 संभागीय आयुक्त

2 सदस्य, राजस्व मंडल मध्यप्रदेश

3 परिवहन आयुक्त

4 आबकारी आयुक्त

5 क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा

6 जिला अध्यक्ष/जिला दण्डाधिकारी

7 जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी.

8 रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक

9 पुलिस अधीक्षक

10 मध्यप्रदेश के उप मंत्रीगण/संसदीय सचिव

11 नेता प्रतिपक्ष विधान सभा

12 भूतपूर्व मुख्यमंत्री

13 उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल

14 अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग

15 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

16 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण

17 राज्य निर्वाचन आयुक्त

18 महाधिवक्ता

19 मुख्य सचिव

20 अध्यक्ष, राजस्व मंडल

21 प्रमुख सचिव, गृह

22 प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा

23 पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश

10 महापौर, नगरपालिक निगम

11 अध्यक्ष, नगरपालिक निगम

12 जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

13 राज्य शिष्टाचार अधिकारी

14 उप परिवहन आयुक्त

15 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ नगर पुलिस अधीक्षक.

17 क्षेत्रीय/अतिरिक्त/जिला परिवहन अधिकारी/ परिवहन एवं वन विभाग के उड़नदस्तों के प्रभारी अधिकारी.

18 जिला सेनानी होमगार्ड

19 नगर निरीक्षक, पुलिस/ फॉयर आफीसर

20 जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के उनके ऊपर के अधिकारी जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं.

21 आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी एवं उनके ऊपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं.

(ग) रोगियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त एंबुलेंस में लगाई गई परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाईट.

(घ) टॉपलाईट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाईट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकोर्टिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा जो लाल लाईट का उपयोग करने के हकदार हैं.

(ङ) उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो, यथास्थिति, लाल, नीली या पीली लाईट का उपयोग नहीं किया जायेगा और उसे काले आवरण से ढका जायेगा.

(च) पीली बत्ती की अनुज्ञा प्राप्त पदाधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ जिला परिवहन अधिकारी) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विन्ड स्क्रीन पर चस्पा कर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.